न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री राजेन्द्र विजय (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 155/2017

बउनवान

मुकेश पुत्र श्री भैरूलाल जाति–धाकड़, नि. बमोरीकलां तहसील–मांगरोल, जिला–बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, मांगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री सत्येन्द्र जामोदिया, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक 25.08.2021

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 11.02.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बमोरीकलां, तहसील–मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 715 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म गै.मु.खा़ल पर अतिक्रमी मानकर 480/–रूपये अर्थदण्ड एंव तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली में विद्यमान तथ्यों व दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एकतरफा पारित किया है तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया है पत्रावली में बेदखलीनामा एवं स्वतंत्र गवाहान के बयान संलग्न नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर दोषी करार देकर निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट का विवादित आ[illegible] कोई अतिक्रमण नहीं है ना ही पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। समस्त [illegible] अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्याया[illegible] 11.02.2017 निरस्त [illegible]या जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:04:51 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया [illegible]कर रेस्पोंडेंट को [illegible] सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का

अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर मौके की जॉच नहीं की गयी है कि अपीलांट का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा है या नहीं। निर्णय मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर विश्वास करके आदेश पारित किया गया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज नहीं है। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है ना हीं तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.02.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 149/16 निर्णय दिनांक 10.02.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी गै.मु.खाल है जिस पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 149/16 निर्णय दिनांक 10.02.2017 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 97/17 में पारित आदेश दिनांक 11.02.2017 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:04:51 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर, बारां